

दिनांक... 15-7-23... का पता...

13-4 23 प्रकारवली चेश, दुर्गा वकील पाधी उपस्थित,
पाठ्य (0.228.4) पर बलस हेतु पूर्व
में कर्ष अवसर दिये जा चुके है, इसके



बावजूद वकील प्राधी द्वारा पालना नहीं की जा
रही है अतः प्राधी का प्राधना-पर अन्तर्गत आदेश
नियम 5 C.P.C. (Non Compliance) में खारिज
किया जाता है

~~परावली फैसल सुमाए होकर नम्बर से
कम हो~~

13.04.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)